



# (कर्मचारियों के लिए आरक्षित Air Liquide कैपिटल वृद्धि) भारत के लिए स्थानीय सप्लमैंट

‘2025 Air Liquide ग्रुप कर्मचारी शेयर पेशकश’ के तहत शेयर खरीदने का नरिणय लेने से पहले कृपया इस दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ें («myAL myShare 2025»)। आप इस दस्तावेज़ में पाएंगे:

- भाग A में, myAL myShare 2025 का सामान्य वविरण, रपिरेजेंटेशन, वॉरंटी और समझौते जनिहें myAL myShare 2025 में भाग लेने पर आपको स्वीकार करना होगा। (भाग A भारत के लिए एक स्थानीय सूचना दस्तावेज़ है जो योजना नयिमों का हसिसा है), और
- भाग B में, भारत में प्रतभागियों के लिए टैक्स से जुड़ी जानकारी है।

इस दस्तावेज़ में Air Liquide समूह के कर्मचारियों के लिए आरक्षित कर्मचारी शेयर योजना के बारे में जानकारी है। इस पेशकश में आपको L’Air Liquide S.A. के शेयरों में नविश करने के लिए आमंत्रित किया गया है (“L’Air Liquide शेयर”)। नीचे myAL myShare 2025 की शर्तें और भारत में भाग लेने वाले कर्मचारियों के लिए लागू वशिष्ट शर्तों का सारांश दिया गया है, जिसमें टैक्स और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मुख्य परणाम शामिल हैं। कृपया ध्यान दें कि myAL myShare 2025 एक अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी शेयर योजना है, जो फ्रांस के कानूनों और नयिमों के अधीन है।

कृपया ध्यान दें कि myAL myShare 2025 में भाग लेने का नरिणय आपका है, अपनी स्थिति और किसी भी स्वतंत्र सलाह की आवश्यकता का ध्यान रखें। कृपया यह भी ध्यान दें कि myAL myShare 2025 और इसकी शर्तें आपके नयिोक्ता के साथ आपके रोजगार संबंधों का हसिसा नहीं होंगी। न तो आपका नयिोक्ता और न ही L’Air Liquide S.A., myAL myShare 2025 से संबंधित नविश सलाह देगा। आपको L’Air Liquide S.A. के यूनविरसल रजसिट्रेशन डॉक्युमेंट और किसी भी अंतरमि वतितीय रपिर्ट के पढ़ने-समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें कंपनी की गतविधियों, रणनीति, वतितीय परणामों और इसके व्यवसाय से जुड़े वशिष्ट जोखिमों और L’Air Liquide शेयरों में नविश की महत्वपूर्ण जानकारी होती है।

myAL myShare 2025 यूरोपीय संघ के अनुच्छेद 1.4(आई) में प्रदान किए गए प्रॉस्पेक्टस को प्रकाशित करने से छूट पर नरिभर करता है। प्रॉस्पेक्टस रेगुलेशन (ईयू) 2017/1129, संशोधित के रूप में।

## भाग-ए myAL myShare 2025 की स्थानीय पेशकश की जानकारी

### कर्मचारियों के लिए आरक्षित शेयर पूंजी वृद्धि

कर्मचारियों के लिए आरक्षित L’Air Liquide S.A. के कैपिटल रजिस्टर के अनुसार, भाग लेने वाले L’Air Liquide समूह की कंपनियों के सभी पात्र कर्मचारियों को L’Air Liquide शेयरों की पेशकश की जाने की उम्मीद है। दुनिया भर में कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित कुल पूंजी वृद्धि का उल्लेख सब्सक्रिप्शन फॉर्म में किया गया है। यदि अनुरोधित शेयर, प्रस्तावित पूंजी वृद्धि से अधिक हैं, तो उन्हें कम किया जा सकता है। ऐसा होने पर, प्रत्येक प्रतभागी को सूचित किया जाएगा। अनुरोधों को, प्रतप्रतभागी शेयरों की गारंटीकृत न्यूनतम संख्या (प्रतभागियों की संख्या से वभाजित शेयरों की कुल संख्या के बराबर) दी जाएगी। इस राशि से ऊपर के अनुरोधों को उपलब्ध और अनुरोधित शेयरों की कुल संख्या के अनुपात में दिया जाएगा।

### पात्रता

आप myAL myShare 2025 इसमें भाग लेने के पात्र हैं अगर:

- आप सब्सक्रिप्शन अवधि के अंत तक (यानी, 13 नवंबर, 2025 को) L’Air Liquide S.A. या L’Air Liquide S.A. की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बहुमत के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के कर्मचारी हैं, और
- आपके नयिोक्ता ने Air Liquide International की ग्रुप शेयर खरीद योजना का पालन किया है, और
- आप तीन (3) महीनों की न्यूनतम रोजगार स्थिति को पूरा करते हैं। सेवा की यह अवधि एक नश्चित अवधि के अनुबंध या कई अनुबंधों के तहत हो सकती है, जरूरी नहीं कि लगातार 1 जनवरी, 2024 और 13 नवंबर, 2025 के बीच हो।

### सब्सक्रिप्शन अवधि

सब्सक्रिप्शन अवधि 3 नवंबर, 2025 से शुरू होगी, और 13 नवंबर, 2025 तक चलेगी (समावेशी)। इसलिए, myAL myShare 2025 में भाग लेने के लिए, आपको 13 नवंबर, 2025 को या नवीनतम (11:59 बजे से पहले, पेरिस समय) पर सब्सक्रिप्शन लेना होगा।

सब्सक्रिप्शन अवधि के दौरान, आप myalmyshare2025.airliquide.com पर जाकर, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड आपको ईमेल पर भेजा जाएगा। इसके अलावा, अगर आपके पास ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इंटरनेट नहीं है तो आप एक पेपर सब्सक्रिप्शन फॉर्म भरके भाग ले सकते हैं। यदि आप एक पेपर सब्सक्रिप्शन फॉर्म जमा करके और myAL myShare वेबसाइट के माध्यम से भी भाग लेते हैं, तो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन का उपयोग किया जाएगा और अंतिम माना जाएगा। जब तक आप ऑनलाइन भाग नहीं लेते हैं, कृपया 13 नवंबर, 2025 को या उससे पहले अपने एचआर प्रतनिधि को अपना वधिवित भरा हुआ सब्सक्रिप्शन फॉर्म जमा कर दें।

## सब्सक्रिप्शन की कीमत

L'Air Liquide शेयरों को छूट पर पेश किया जा रहा है। प्रत्येक शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन मूल्य Euronext Paris (पेरिस स्टॉक एक्सचेंज) पर L'Air Liquide S.A. शेयर की शुरुआती कीमतों के औसत पर आधारित है, जो सब्सक्रिप्शन मूल्य ("संदर्भ मूल्य" के तौर पर बताया गया) निर्धारित करने की तारीख से 20 कारोबारी दिनों पहले का है। सब्सक्रिप्शन मूल्य 29 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित होने की उम्मीद है। सब्सक्रिप्शन मूल्य संदर्भ मूल्य शून्य से 20% छूट के बराबर है। उदाहरण के लिए, यदि संदर्भ मूल्य 150 यूरो था, तो सब्सक्रिप्शन मूल्य 120 यूरो होगा।

आप अपने निवेश के लिए रुपये में भुगतान करेंगे। (₹). आपके निवेश उद्देश्यों के लिए, भारतीय रुपये में आपके भुगतान की राशि आपके नियोक्ता द्वारा यूरो (€) में बदल दी जाएगी क्योंकि L'Air Liquide शेयर यूरो (€) में सूचीबद्ध है। यूरो (€) में आपके निवेश की राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विनियम दर, सब्सक्रिप्शन अवधि की शुरुआत से पहले L'Air Liquide द्वारा निर्धारित की जाएगी, और सब्सक्रिप्शन मूल्य आपको सब्सक्रिप्शन मूल्य के साथ सूचित किया जाएगा। L'Air Liquide द्वारा निर्धारित विनियम दर और विदेशों में धन के वास्तविक रेटर्स की तारीख पर विनियम दर के बीच कोई भी भिन्नता आपके निवेश की राशि को प्रभावित नहीं करेगी।

महत्वपूर्ण नोट: आपके निवेश के जीवन के दौरान, L'Air Liquide शेयरों का मूल्य यूरो (€) और रुपये के बीच मुद्रा विनियम दरों में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होगा। (₹). नतीजतन, यदि यूरो (यूरो) का मूल्य रुपये के सापेक्ष मजबूत होता है (₹), रुपये में व्यक्ति शेयर की कीमत बढ़ेगी। दूसरी ओर, यदि यूरो का मूल्य रुपये के सापेक्ष कमजोर होता है (₹), रुपये में व्यक्ति शेयरों का मूल्य (₹) घट जाएगा। इसलिए, यूरो (€) और रुपए (₹) के बीच विनियम दर में उतार-चढ़ाव आपके निवेश को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

## अधिकतम और न्यूनतम सब्सक्रिप्शन राशि

myAL myShare 2025 में आप जिस अधिकतम राशि का निवेश कर सकते हैं, वह आपके 2025 के आपके सकल वार्षिक पारिश्रमिक के 25% से अधिक नहीं हो सकती है, जिसमें प्रदर्शन बोनस (यदि कोई हो) शामिल है। अपने सकल वार्षिक पारिश्रमिक की गणना करने के लिए, आपको अपना वेतन, रटायर और प्रदर्शन बोनस का योग (यदि कोई हो)।

इसके अलावा, यदि आप 12 मासिक वेतन कटौती के माध्यम से अपने निवेश के लिए भुगतान करना चुनते हैं, तो प्रत्येक मासिक वेतन कटौती आपके शुद्ध मासिक वेतन के 10% से अधिक नहीं हो सकती है।

आपकी ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि आपका निवेश 2025 कैलेंडर वर्ष के आधार पर गणना की गई उपरोक्त सीमा से अधिक न हो। गणना करने में, आपको वर्ष के अंत तक प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक का अनुमान लगाना होगा; इसलिए, आपको परिवर्तनीय वेतन या अन्य लाभों के तत्वों को शामिल किए बिना अपने पारिश्रमिक की गणना करनी चाहिए जिनकी गारंटी नहीं है।

आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जो न्यूनतम राशि चुन सकते हैं, वह एक L'Air Liquide S.A. शेयर है।

## भुगतान के तरीके

भुगतान भारतीय रुपये में किया जाना है (₹)। L'Air Liquide शेयरों की सब्सक्रिप्शन के लिए आपके लिए निम्नलिखित भुगतान विधियाँ उपलब्ध हैं:

- पूरा सब्सक्रिप्शन मूल्य के लिए अपने नियोक्ता द्वारा फ़ाइनेंस करने या
- आपके द्वारा पूरा सब्सक्रिप्शन मूल्य (एनईएफ़टी या आरटीजीएस) का बैंक ट्रांसफ़र द्वारा भुगतान।

आपको सब्सक्रिप्शन फॉर्म में अपनी पसंदीदा भुगतान विधि पसंद का संकेत देना होगा।

अगर आप बैंक हस्तांतरण (एनईएफ़टी या आरटीजीएस) द्वारा अपनी सब्सक्रिप्शन का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं, तो आपके नियोक्ता को कुल सब्सक्रिप्शन राशि का भुगतान पाना होगा 12 दिसंबर, 2025. इसके साथ ही, बैंक ट्रांसफ़र करते समय, कृपया अपने एचआर विभाग में नामित व्यक्ति को ट्रांसफर का प्रमाण का दें। बैंक खाते का विवरण जिसमें भुगतान किया जाना चाहिए, सब्सक्रिप्शन अवधि शुरू होने से पहले आपको ईमेल किया जाएगा।

फ़ाइनेंसिंग एक अल्पकालिक 'ब्याज मुक्त' ऋण के रूप में होगी, जो 12 (बारह) महीनों में आपके वेतन से जनवरी 2026 से शुरू होने वाली मासिक पेट्रोल कटौती के माध्यम से चुकाने योग्य/वसूली योग्य होगी। वेतन कटौती की हर कसि का भुगतान, आपके शुद्ध मासिक वेतन के 10% से अधिक नहीं हो सकता है। हालाँकि, उक्त फ़ाइनेंसिंग ब्याज मुक्त होगी, आयकर अधिनियम के अनुसार, एक अनुमानित ब्याज लिया जाएगा और पुनर्भुगतान किए जाने तक आपके लिए एक रियायत और टैक्स योग्य माना जाएगा।

अगर आप फ़ाइनेंसिंग सुविधा का विकल्प चुनते हैं, तो आप अपने नियोक्ता द्वारा सब्सक्रिप्शन राशि एकत्र करने के लिए जनवरी 2026 से स्वैच्छिक पेट्रोल कटौती के लिए सहमति देते हैं। अगर उक्त पेट्रोल कटौती किए जाने से पहले आपका रोज़गार किसी भी कारण से समाप्त हो जाता है, तो सब्सक्रिप्शन राशि आपके अंतिम वेतन से काटी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, यदि आप ऋण चुकोती से पहले रोज़गार छोड़ देते हैं, तो आपका नियोक्ता पूरा और अंतिम निपटान के समय आपके पेट्रोल/वेतन से अवैतनिक योगदान और लागत (यदि कोई हो) काटने का हकदार होगा।

## आपके L'Air Liquide शेयरों की कस्टडी

सब्सक्राइब किए गए शेयर सीधे आपके द्वारा L'Air Liquide S.A. के अपने शेयरधारक सेवा विभाग के साथ पंजीकृत रूप में आयोजित किए जाएंगे।

## डिविडेंड

L'Air Liquide शेयरों पर भुगतान किए गए किसी भी डिविडेंड का भुगतान सीधे आपको किया जाएगा, फ्रेंच विद्दिल्डिग टैक्स लागू होगा। इसके अलावा, दो (2) से अधिक पूरा वर्षों के लिए रखे गए L'Air Liquide शेयर डिविडेंड राशि में 10% की वृद्धि के लिए पात्र होंगे («लॉयल्टी बोनस» के रूप में संदर्भित लेकिन कानूनी रूप से डिविडेंड भुगतान के रूप में वर्गीकृत)।

## मतदान का अधिकार

L'Air Liquide शेयरों पर मतदान के अधिकार सीधे आपके द्वारा उपयोग किए जाएंगे।

## मुद्रा विनियम नियंत्रण

सभी भारतीय कर्मचारियों या L'Air Liquide इंडिया के कार्यकारी नदिशकों को बना किसी मौद्रिक सीमा के ईएसओपी योजनाओं के तहत विदेशी प्रतभूतियों का अधिग्रहण करने की अनुमति है। हालाँकि, myAL myShare 2025 के लिए, प्रतिकर्मचारी अधिकतम सब्सक्रिप्शन राशि ऊपर दी गई है।

कृपया ध्यान दें कि myAL myShare 2025 में आपकी भागीदारी, आपके योगदान सहित, लागू भारतीय कानूनों का पालन करना चाहिए, जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत जारी किए गए नियम और विनियम शामिल हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है। लबिरलाइज्ड रेटर्स स्कीम<sup>2</sup> (एलआरएस) के तहत आपके नियोक्ता द्वारा आपकी ओर से दिया सब्सक्रिप्शन राशि का रेटर्स 250,000 अमरीकी डालर की सीमा के भीतर है या

<sup>1</sup> अधिक विवरण नीचे टैक्स सेक्शन में दिए गए हैं।

<sup>2</sup> भारतीय विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों की लबिरलाइज्ड रेटर्स योजना एक भारतीय निवासी कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष में 250,000 अमरीकी डालर से अधिक की राशि के लिए एक विदेशी कंपनी की प्रतभूतियों को खरीदने की अनुमति देती है (अर्थात, एक कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च तक)। यह सीमा वह कुल राशि है जो एक कर्मचारी एक वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में रेटर्स कर सकता है और इसमें लागू सभी चालू और कैपिटल अकाउंट के लेन-देन के लिए उसके रेटर्स शामिल होंगे।

अन्यथा लागू वनिमिय नियंत्रण कानूनों और वनियमों के अनुसार और अधीन है। आपके नियोक्ता को एलआरएस के तहत आपके अन्य रेमिटेंस के बारे में पता नहीं हो सकता है; इसलिए, आप यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं कि आपका सब्सक्रिप्शन 250,000 अमरीकी डालर की सीमा के भीतर है। आप वदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत जारी किए गए नियमों और वनियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होने के लिए सहमत हैं। अगर बाद में, यह पाया जाता है कि इस तरह के रेमिटेंस से निर्धारित सीमा का उल्लंघन हुआ है, अर्थात, प्रत्येक वित्तीय वर्ष 250,000 अमरीकी डालर (या अन्यथा), आप अतिरिक्त धन को भारत वापस लाने के लिए ज़िम्मेदार होंगे और सुओ मोटो कंपाउंडिंग के लिए आवेदन करेंगे।

आपका स्थानीय नियोक्ता लागू कानूनों और वनियमों के अनुसार *myAL myShare 2025* के तहत वदेशी मुद्रा से संबंधित सभी मामलों को संभालेगा। *myAL myShare 2025* में भाग लेने के लिए, आपने अपने नियोक्ता को एक प्रासंगिक आवेदन करने के लिए अधिकृत किया है या इसे *myAL myShare 2025* के कार्यान्वयन के लिए अपनी ओर से उपयुक्त प्राधिकारी के साथ फाइल किया है। इसके अतिरिक्त, आपको *myAL myShare 2025* के संबंध में कानूनों, वनियमों या संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेज को पूरा करने या जमा करने की आवश्यकता हो सकती है।

की शर्तों के अधीन *myAL myShare 2025*, आप के तहत अधिग्रहीत L'Air Liquide शेयरों को ट्रांसफर कर/बेच सकते हैं *myAL myShare 2025* बशर्ते उसकी आय प्राप्त होने पर तुरंत प्रत्यावर्तित की जाए और किसी भी स्थिति में, बिक्री की तारीख से 180 दिनों के बाद नहीं।

जब आप अपने निवेश को भुनाने हैं, तो आपका नियोक्ता संबंधित सरकारी अधिकारियों (यदि आवश्यक हो) के साथ दावा दायर करेगा और बैंकों द्वारा अनुरोधित सभी प्रक्रियाओं का पालन करेगा, जिसके परिणामस्वरूप आपकी आय के भुगतान में देरी हो सकती है। चूंकि *myAL myShare 2025* से आपका कैपिटल गेन भारतीय रुपये और यूरो के बीच वदेशी वनिमिय दर से प्रभावित हो सकता है, इसलिए भारतीय रुपये में आपकी आय इस तरह के भुगतान में देरी के परिणामस्वरूप वदेशी वनिमिय दर में उतार-चढ़ाव से भौतिक रूप से प्रभावित हो सकती है।

कृपया स्रोत पर एकत्रित टैक्स की प्रयोज्यता के लिए भारत टैक्स नोट देखें («टीसीएस»)। यदि एलआरएस के तहत आपके अंतरराष्ट्रीय/वदेशी स्थानान्तरण (*myAL myShare 2025* सहित) रुपये से अधिक हैं, तो टीसीएस लागू होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,000,000।

## प्रतभूत नोटिस

यह दस्तावेज़ और प्रस्ताव केवल L'Air Liquide समूह के कर्मचारियों को संबोधित किया जाता है जो *myAL myShare 2025* में भाग लेने के लिए पात्र हैं। कोई भी भारतीय प्रतभूत कानून या अन्य फाइलिंग या रीपोर्टिंग आवश्यकताएँ इस *myAL myShare 2025* पर लागू नहीं होती हैं।

## लॉक-अप अवधि और जल्दी बाहर निकलने की घटनाएँ

के तहत दिए गए लाभों को ध्यान में रखते हुए *myAL myShare 2025*, सब्सक्राइब्ड L'Air Liquide शेयर पाँच साल (5) लॉक-अप अवधि के अधीन हैं, जो 9 दिसंबर, 2030 को समाप्त हो रहा है, जो वर्तमान में फ्रांसीसी कानून के तहत मल्लि शुरुआती निकास के लिए कुछ अपवादों के अधीन है। इसके अपवाद हैं:

1. कर्मचारी का विवाह,
2. बच्चे या बच्चे का जन्म गोद लिया जाता है, बशर्ते कर्मचारी का घर पहले से ही कम से कम दो बच्चों के लिए आर्थिक रूप से ज़िम्मेदार हो,
3. तलाक या अलगाव की अन्य न्यायिक मान्यता, यदि संबंधित कर्मचारी के साथ कम से कम एक बच्चे की कस्टडी बरकरार रखी जाती है,
4. फ्रांसीसी कानून के तहत परिभाषित कर्मचारी या पतिया पत्नी या बच्चे की वकिलांगता,
5. कर्मचारी या जीवनसाथी की मृत्यु,
6. इस्तीफ़े, बर्खास्तगी या सेवानिवृत्ति सहित किसी भी कारण से रोजगार की समाप्ति,
7. फ्रांसीसी कानून के तहत प्रदान किए गए कर्मचारी के बच्चों या एक विशिष्ट व्यावसायिक उद्यम के पतिया पत्नी द्वारा निर्माण,
8. मुख्य निवास की खरीद या वसतिार,
9. पतिया पूर्व पति द्वारा कर्मचारी के खिलाफ़ की गई घरेलू हिंसा।

उपरोक्त फ्रांसीसी कानून के तहत अनुमत वर्तमान प्रारंभिक निकास घटनाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। हालाँकि, यह तब मदद करेगा जब आपने यह निष्कर्ष नहीं निकाला है कि एक प्रारंभिक निकास उपलब्ध है और जब तक कि आपने नियोक्ता को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों का वर्णन नहीं किया है और आपके नियोक्ता ने पुष्टि की है कि यह आपके अपेक्षित सहायक दस्तावेज प्रदान करने पर लागू होता है।

आपको अपने पतिया पत्नी की मृत्यु, वकिलांगता, रोजगार अनुबंध की समाप्ति या घरेलू हिंसा (जिस स्थिति में अनुरोध किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है) को छोड़कर, इस तरह की घटना के बाद छह (6) महीनों के भीतर रीडिम करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। आपके प्रतिनिधियों को आपकी मृत्यु के बाद रीडिम करने का अनुरोध करना चाहिए।

प्रारंभिक रूप से रीडिम किए जाने के लिए एक एकल (बैंक ट्रांसफर) भुगतान किया जाएगा, जो सभी या कुछ शेयरों पर लागू होगा जिनमें अनुरोध के अनुसार भुनाया जा सकता है।

अगर आप एक प्रारंभिक निकास अनुरोध प्रस्तुत करते हैं, तो शेयरधारक सेवा विभाग आपके नियोक्ता द्वारा इसे मान्य करने के बाद आपके अनुरोध को निष्पादित करेगा और आपके निवेश का मूल्य आपको या आपके नियोक्ता को ट्रांसफर करेगा। अगर आपके नियोक्ता को भुगतान किया जाता है, तो आपका नियोक्ता आवश्यक होने पर किसी भी टैक्स या सामाजिक शुल्क में कटौती के बाद आपको बकाया राकम हस्तांतरित कर सकता है।

जल्दी बाहर निकलने के मामलों और रीडिम करने की प्रक्रियाओं पर अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया अपने एचआर विभाग से संपर्क करें।

## L'Air Liquide शेयरों की बिक्री

आपका निवेश लॉक-अप अवधि की समाप्ति पर या पहले बाहर निकलने की स्थिति में उपलब्ध हो जाएगा। लॉक-अप अवधि समाप्त होने से पहले, आपको अपनी निवेश उपलब्धता की जानकारी दी जाएगी और आप किसी भी समय अपना निवेश बेच सकते हैं।

शेयर से जल्दी बाहर निकलने की स्थिति में, आपको अपने नियोक्ता को L'Air Liquide शेयर बेचने की अपनी इच्छा के बारे में सूचित करना चाहिए। इसके अलावा, आपको जल्दी निकास घटना की घटना के लिए उचित कारण देना आवश्यक है। अगर आप अपना निवेश बेचते हैं, तो आपको बैंक हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान प्राप्त होगा। उपरोक्त के अधीन रहते हुए, पाँच साल (5) लॉक-अप अवधि के अंत में, आप या तो शेयरों को रखने या उन्हें किसी भी समय बेचने का निर्णय ले सकते हैं।

## श्रम कानून अस्वीकरण

कृपया ध्यान दें कि *myAL myShare 2025* आपको फ्रांसीसी कंपनी, L'Air Liquide S.A. द्वारा प्रदान किया गया है, न कि आपके स्थानीय नियोक्ता द्वारा। *myAL myShare 2025* पेशकश आपके रोजगार समझौते का हिस्सा नहीं है और इसमें संशोधन या सप्लैमेट नहीं है। इसके अलावा, आपकी भागीदारी आपको भविष्य के लाभों या समान प्रकृतियों मूल्य के भुगतान का हकदार नहीं बनाती है। यह आपको भविष्य में इसी तरह की ऑफरिंग में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं देता है। लाभ जो आपको प्राप्त हो सकते हैं या नमिन के लिए पात्र हो सकते हैं *myAL myShare 2025* को भविष्य के लाभों, भुगतानों या अन्य एंटाइटेलमेंट, यदि कोई हो, को निर्धारित करने में विचार नहीं किया जाएगा, जो आपके कारण हो सकता है (रोजगार समाप्ति मामलों सहित)।

## रद्दीकरण

L'Air Liquide S.A., अपने वक्क से, myAL myShare 2025 को रद्द करने का वकिल्प चुन सकता है। यह फैसला सब्सक्रिप्शन मूल्य नरिधारति होने, यानी 29 अक्टूबर, 2025 से पहले किसी भी समय लथि जा सकता है।

## सभी प्रतभागीयों द्वारा रपिरजेंटेशन, वारंटी और समझौते

myAL myShare 2025 के तहत L'Air Liquide शेयर खरीदने के लिए सहमत होने पर, आप इन चीजों का प्रतनिधित्व करते हैं, वारंट करते हैं और नमिनलखिति से सहमत होते हैं:

- (i) आपने समरूपति वेबसाइट पर उपलब्ध सब्सक्रिप्शन दस्तावेजों को पढ़ा और समझा है myalmyshare2025.airliquide.com, वशिष रूप से myAL myShare 2025 के नथिमों और शर्तों को। इसलए, आप पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और myAL myShare 2025 के नथिमों और शर्तों से सहमत हैं और उनके द्वारा बाध्य हैं जैसे कआपने उन पर हस्ताक्षर कथि था।
- (ii) आप एक प्रतभागी Air Liquide ग्रुप कंपनी के कर्मचारी हैं और myAL myShare 2025 में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
- (iii) आपको आपके द्वारा खरीदे गए L'Air Liquide शेयर के प्रतसब्सक्रिप्शन मूल्य के बारे में सूचति कथि गया है।
- (iv) आप समझते हैं कआपका नविश मूल्य L'Air Liquide के शेयर मूल्य बदल सकता है। इसलए, आप myAL myShare 2025 नविश कए गए अपने योगदान को जोखमि में डालते हैं और अपने नविश में वविधिता लाने के महत्व को समझते हैं। न तो L'Air Liquide और न ही आपका नथिकता और न ही उनकी कोई संबंधति सहायक, नदिशक, अधिकारी या कर्मचारी myAL myShare 2025 से जुड़ी कोई वत्तीय, नविश, टैक्स या अन्य सलाह देते हैं।
- (v) L'Air Liquide S.A. की जानकारी इसके सबसे हालथि यूनविरसल रजसिटरेशन डॉक्युमेंट और <https://www.airliquide.com/investors> पर अन्य वत्तीय रपिरटों में मलि सकती है। इन दस्तावेजों में L'Air Liquide S.A. की गतविवधियों और रणनीति, इसके वत्तीय परणाम, इसके व्यवसाय में नहिति जोखमि और इसके शेयरों में नविश के अवसर के बारे में महत्वपूरा जानकारी है। नविश करने से पहले आपको इस दस्तावेज की समीक्षा करनी चाहए myAL myShare 2025।
- (vi) हालाँकि, इस देश के सप्लमिट के हसिसे के रूप में एक सामान्य टैक्स सारांश प्रदान कथि जाता है, न तो L'Air Liquide S.A. और न ही आपका नथिकता कोई टैक्स सलाह देता है। इसलए, आपको भाग लेने के टैक्स नथिमों पर मार्गदर्शन के लिए अपने टैक्स सलाहकार से परामर्श करना चाहए myAL myShare 2025। इसके अलावा, न तो L'Air Liquide और न ही आपका नथिकता myAL myShare 2025 से संबंधति नविश सलाह दे रहा है, न ही यह myAL myShare 2025 में आपकी भागीदारी के परणामस्वरूप किसी भी टैक्स दायत्वों के लिए उत्तरदायी है।
- (vii) यदकिूल सब्सक्रिप्शन अनुरोध के तहत myAL myShare 2025 पेशकश कए गए शेयरों की संख्या से अधिक है, आप समझते हैं क L'Air Liquide S.A. आपके वक्क पर आपको आवंटति शेयरों की संख्या को कम कर सकता है।
- (viii) आपका नविश 5 साल की लॉक-अप अवधि (9 दसिंबर, 2030 को समाप्त) के अधीन है जब तक कआप ऊपर बताए गए शुरुआती नकिस कार्यक्रमों में से एक के लिए पात्र नहीं हो जाते। प्रारंभकि नकिस घटनाओं की व्याख्या की जानी चाहए और फ्रांसीसी कानून के साथ लगातार लागू की जानी चाहए। इसलए, इन शुरुआती नकिस की घटनाओं में से किसी पर भरोसा करने या भरोसा करने का प्रयास करने से पहले, आप समझते हैं कआपको यह सुनिश्चित करने के लिए अपने नथिकता से परामर्श करना चाहए कआपका मामला सभी फ्रांसीसी कानून आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- (ix) myAL myShare 2025 में भागीदारी और आपके रोजगार समझौते से से अलग है और उसका हसिसा नहीं है। यह आपको अपने रोजगार के संबंध में कोई अधिकार या अधिकार प्रदान नहीं करता है। myAL myShare 2025 में भागीदारी L'Air Liquide शेयरों या लाभों के भवषिय के प्रस्तावों के संबंध में या उसके संबंध में कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।
- (x) L'Air Liquide S.A. या आपका नथिकता किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा या इसके संबंध में कए जाने के लिए छोड़ा जाएगा myAL myShare 2025 अपने जानबूझकर कदाचार को छोड़कर या कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान कथि गया है।
- (xi) आप समझते हैं कआपके व्यक्तगित डेटा को myAL myShare 2025 में आपकी भागीदारी के संबंध में प्रोसेस, ट्रांसफर और संग्रहीत कथि जाएगा। इस तरह के डेटा प्रोसेसगि की शर्तों और आपके अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है: [myalmyshare2025.airliquide.com](https://myalmyshare2025.airliquide.com).
- (xii) myAL myShare 2025 फ्रांस गणराज्य के कानूनों के अधीन है और ऐसे कानूनों का पालन करते हुए व्याख्या की जानी चाहए। इन कानूनों को लागू करने के लिए चुना गया है कयोंकि L'Air Liquide S.A. फ्रांस के कानूनों के तहत बनी एक कंपनी है। myAL myShare 2025 से संबंधति व्याख्या, वैधता, या आवेदन के संबंध में किसी भी वविद की स्थिति में, संबंधति पक्ष एक सौहारदपूरा समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। हालाँकि, अगर ऐसा कोई समाधान नहीं मलि सकता है, तो वविद की सुनवाई फ्रांस की एक सक्षम अदालत द्वारा की जाएगी।
- (xiii) यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतबिंधों के चलते, रूस या बेलारूस के नागरकि या नविसी जनि के पास यूरोपीय संघ, यूरोपीय आर्थकि क्षेत्र के किसी देश के सदस्य या स्वट्रिजरलैंड की नागरकिता या कानूनी नविस नहीं है, वे myAL myShare 2025 में भाग नहीं ले सकते हैं। इसलए, मैं घोषणा करता हूँ:
  - मैं रूसी नागरकि या रूस का नविसी नहीं हूँ या अगर मैं हूँ तो मैं यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य का, यूरोपीय आर्थकि क्षेत्र या स्वट्रिजरलैंड के किसी देश का सदस्य नागरकि भी हूँ या मेरे पास इनमें से किसी एक सदस्य राज्य में अस्थायी या स्थायी नविस की अनुमति है; तथा
  - मैं बेलारूसी राष्ट्रिय या बेलारूस का नविसी नहीं हूँ; अगर मैं हूँ तो मैं यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य का नागरकि भी हूँ या इनमें से किसी एक सदस्य राज्य में अस्थायी या स्थायी नविस की अनुमति है।
- (xiv) अगर आपके पास इस प्रस्ताव के बारे में कोई प्रश्न है, तो आपको अपने स्थानीय योजना अधिकारी से संपर्क करना चाहए। इनका वविरण <https://myalmyshare2025.airliquide.com> पर दखिई देता है।



# भारत में नविासी, आमतौर पर नविासी और अधविासति कर्मचारियों के लिए टैक्स सारांश

इस दस्तावेज़ का उद्देश्य 2025 Air Liquide Group कर्मचारी शेयर पेशकश («myAL myShare 2025») में आपकी भागीदारी से उत्पन्न आयकर और सामाजिक शुल्कों के परिणामों के बारे में आपके कुछ सवालों के जवाब देना है।

नमिनलखिति टैक्स सारांश उन आम सदिधांतों को नरिधारति करता है जो इन कर्मचारियों पर लागू होने चाहिए: (1) भारतीय टैक्स कानूनों तहत आते हैं तथा भारत के नविासी, सामान्य रूप से नविासी और अधविासति हैं और 29 सतिंबर, 1992 को दोहरे कराधान से बचने के लिए फ्रांस और भारत के बीच हुई «संधि» के लाभों के हकदार हैं (2) जो संधि के लाभों के हकदार हैं, लेकिन सभी वशिष्ट मामलों में के तहत नहीं आते हैं। यह सारांश केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए दिया गया है और इसे पूरा या नरिणायक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कथिह स्थानीय सप्लमैंट 1 अप्रैल, 2025 को लागू टैक्स कानूनों पर आधारति है। चूँकि टैक्स कानून, नयिम और संधि समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए यह आपकी टैक्स स्थितिको प्रभावति कर सकता है। इसलिए, आपको उचित समय पर वशिष्ट टैक्स सलाह लेनी चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि न तो L'Air Liquide S.A. और न ही आपका नयिकता आपको myAL myShare 2025 से संबंधति कोई व्यक्तगित मारगदर्शन या टैक्स सलाह दे सकता है। कर्मचारियों को myAL myShare 2025 में L'Air Liquide शेयरों को प्राप्त करने के टैक्स परिणामों के बारे में अपने टैक्स सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए। यह सारांश केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए दिया गया है और इसे पूरा या नरिणायक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। आपकी रोजगार कंपनी, सटीकता की जमिमेदारी नहीं लेती है।

आपको यह टैक्स नोट अन्य वतिरति सामग्रियों के साथ पढ़ना चाहिए। अन्य सामग्रियाँ आपको सीधे या समर्पति वेबसाइट [myalmyshare2025.airliquide.com](http://myalmyshare2025.airliquide.com) पर उपलब्ध कराई गई हैं। कृपया ध्यान दें कि नीचे दिए गए नए टीसीएस (स्रोत पर एकत्रति कर) प्रवाधान उन व्यक्तियों पर लागू होते हैं जिन्होंने वति वरष 2025-26 के दौरान भारत से रु 1,000,000 से ज्यादा रेमटिस बाहर भेजा है।

## सब्सक्रिप्शन लेने पर

क्या मुझे L'Air Liquide शेयरों की सब्सक्रिप्शन के समय किसी भी टैक्स और/या सामाजिक सुरक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा?

A. फ्रांस में टैक्सेशन

आप L'Air Liquide शेयरों की सब्सक्रिप्शन पर फ्रांस में टैक्सेशन के अधीन नहीं होंगे।

B. भारत में टैक्सेशन

क्या सब्सक्रिप्शन के समय कोई टैक्स या सामाजिक सुरक्षा शुल्क देय है? इसके अलावा, क्या टैक्स और/या सामाजिक सुरक्षा शुल्क पर कोई छूट मिलीगी?

सब्सक्रिप्शन के समय शेयर के मूल्य पर उपलब्ध छूट आपके ऊपर लागू टैक्स पर आधारति होगी। इसलिए, वतितीय वरष 2025-2026 के लिए, आवंटन के समय, आप उचित बाजार मूल्य (जो एक श्रेणी में मर्चेट बैकर द्वारा नरिधारति कया जाएगा) और भुगतान की गई सब्सक्रिप्शन मूल्य के बीच अंतर पर टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तदनुसार, इस तरह की राशिको के रूप में माना जाएगा: «रयियत» आयकर अधिनयिम, 17 की धारा 2(1961) के तहत आपके ऊपर लागू और टैक्स योग्य।

रयियत की गणना इन दोनों के अंतर के बीच की जाती है:

(i) L'Air Liquide शेयरों का उचित बाजार मूल्य («जैसा कि भारतीय प्रतभूति और वनिमिय बोर्ड के साथ पंजीकृत «श्रेणी में मर्चेट बैकर» द्वारा नरिधारति कया गया है), और

(ii) आपके द्वारा भुगतान की गई सब्सक्रिप्शन राशि।

उचित बाजार मूल्य का नरिधारण करते समय («एफएमवी»), मर्चेट बैकर Euronext Paris स्टॉक एक्सचेंज पर L'Air Liquide शेयरों की सूचीबद्ध कीमत पर नरिदृष्टि तिथि (यानी, सब्सक्रिप्शन की तारीख या सब्सक्रिप्शन की तारीख से 180 दिनों के भीतर किसी भी तारीख) पर वचार करेगा। आपका नयिकता इस तरह के शेयर मूल्यांकन प्रमाण पत्र की खरीद करेगा।

चूँकि L'Air Liquide शेयरों को 20% छूट पर पेश कया जाता है, इसलिए L'Air Liquide शेयरों के एफएमवी पर प्रस्तावति छूट को आयकर अधिनयिम, 17 की धारा 1961 के तहत एक रयियत माना जाएगा और परिणामस्वरूप, आपकी आय का हसिसा होगा और आपके «वेतन» तहत आय के रूप में टैक्स लगाने के लिए उत्तरदायी होगा। तदनुसार, आवंटन के समय टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स की दर आपकी कुल आय पर नरिभर करेगी और आपके लिए लागू स्लैब के मुताबकि टैक्स लगाया जाएगा (लागू टैक्स दरों के लिए, कृपया «रीडीम करने पर» सेक्शन के तहत तालिका देखें)।

### चतिरण:

1 L'Air Liquide शेयर का उचित बाजार मूल्य

रु। 100

आपके द्वारा भुगतान कया गया सब्सक्रिप्शन मूल्य (20% छूट के बाद)

रु. 80

छूट

रु. 20

रुपये की छूट 20 को «रयियत» (Perquisite) आय के रूप में माना जाएगा और आपके टैक्स योग्य वेतन में जोड़ा जाएगा।

आपका नियोक्ता खरीद पर किसी भी टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आपका नियोक्ता, लागू स्लैब दरों (और लागू टैक्स व्यवस्था) के अनुसार टैक्स रोक लेगा और टैक्स अधिकारियों को भेज देगा। इसके अलावा, आपका नियोक्ता स्रोत पर एकत्र किए गए टैक्स («टीसीएस») को लॉब्रिलाइज्ड रीमिटेंस योजना के तहत आप से<sup>3</sup> «एलआरएस» एकत्र कर सकता है और टैक्स अधिकारियों को जमा कर सकता है<sup>4</sup>, जहाँ भी लागू हो।

कृपया ध्यान दें कि एलआरएस पर टीसीएस हाल ही में शुरू की गई एक आवश्यकता है और रुपये से अधिक एलआरएस के तहत सभी बाहर भेजे जाने वाले रीमिटेंस पर लागू होती है। 1,000,000 प्रति व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष। 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, लागू टीसीएस दर इससे अधिक प्रेषित राशि का 20% है 1,000,000. यदि एफवाई में एलआरएस के तहत आपका कुल रीमिटेंस 2025-26 (myAL myShare 2025 के तहत रीमिटेंस के साथ) इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 1,000,000, आप टीसीएस के अधीन नहीं होंगे। हालाँकि, यदि आपका रीमिटेंस इससे अधिक हो: 1,000,000 और टीसीएस लागू होता है, तो टीसीएस आपके नियोक्ता द्वारा आपके जनवरी 2026 पेरॉल (एक कसित में) से एकत्र/रकिवर किया जाएगा और टैक्स अधिकारियों (अधिकृत डीलर/बैंकर (वर्जिजापन) के माध्यम से के पास जमा किया जाएगा) आपके फॉर्म 26 एस में क्रेडिट के रूप में दिखाई देगा। एकत्रित टीसीएस को वर्ष के अंत में देय होने वाली आपकी वास्तविक टैक्स देयता के विरुद्ध एडजस्ट किया जा सकता है<sup>5</sup>। यदि आपके पास ऐसी कोई टैक्स देयता नहीं है, तो आप वर्ष के अंत में रफिंड का दावा कर सकते हैं। कृपया अपने टैक्स सलाहकार से परामर्श करें। नियोक्ता इन टैक्स का भुगतान नहीं करेगा।

शेयरों का सब्सक्रिप्शन लेते समय, आपके पास कोई सामाजिक टैक्स जवाबदेही नहीं होगा।

यदि आप myAL myShare 2025 में भाग लेते हैं, तो आपको वित्त वर्ष 2025-26 (सब्सक्रिप्शन/घोषणा की तारीख तक) के दौरान किए गए अपने रीमिटेंस के बारे में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। अगर आप घोषणा उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं, तो (लागू मामलों में) टीसीएस (एडी) बैंकों की सलाह के अनुसार एकत्र किया जाएगा और आपको घोषणा की सामग्री को बना शर्त स्वीकार करने के लिए माना जाएगा। टीसीएस के दायरे, अनुप्रयोग और रकिवरी पर अतिरिक्त विनियामक मार्गदर्शन इसके लागू किए जाने को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

### नियोक्ता की तरफ़:

ऊपर बताए गए टैक्स को रोकने के अलावा किसी भी टैक्स का भुगतान करने के लिए नियोक्ता पर कोई अलग दायित्व नहीं होगा।

इसके अलावा, वर्तमान में, कोई सामाजिक सुरक्षा टैक्स या अन्य शुल्क देय नहीं है।

### क्या ब्याज मुक्त कसित भुगतान टैक्स और/या सामाजिक सुरक्षा शुल्क के अधीन होगा?

आयकर अधिनियम, 17 की धारा 2(1961)(छह) के तहत, आयकर नियम, 3 के नियम 1962 के साथ पढ़ा जाता है, इस छूट में किसी भी लाभ या सुविधा का मूल्य शामिल है या मुफ्त में या रियायती दर पर प्रदान किया जाता है। आयकर नियम, 3 के नियम 7(1962)(आई) के प्रावधानों के अनुसार, रियायती दर पर दिया गया ऋण, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में योग्य है। इसलिए, नियोक्ता द्वारा आपको दिया गया लाभ, रियायत या सुविधा (अगर आप ऐसा चुनते हैं) रियायत का रूप ले लेगी और आपके लिए टैक्स की उत्तरदायी होगी।

#### रियायत का मूल्यांकन (ब्याज मुक्त ऋण के रूप में)

चूंकि नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली फाइनेंसिंग ब्याज मुक्त होगी, इसलिए भारतीय टैक्स कानून के अनुसार ऋण राशि पर एक अनुमानित ब्याज दर का प्रभाव अपेक्षित है, जिसे आपको दी गई एक रियायत माना जाएगा और यह टैक्स के अधीन होगा। रियायत मूल्य की गणना, अधिकतम बकाया मासिक शेष पद्धति के आधार पर की जाएगी। हालांकि, अगर ऋण इस राशि से कम है तो कोई भी अपेक्षित मूल्य नहीं लिया जाएगा रु: कुल 20,000।

आयकर नियम, 3 के नियम 7(1962)(आई) के अनुसार, इससे ऊपर के ब्याज मुक्त या रियायती ऋण के परिणामस्वरूप कर्मचारी को लाभ का मूल्य रु: 20,000 नियोक्ता द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए एडवांस भुगतान की राशि, उसी उद्देश्य के लिए दिए गए ऋणों के संबंध में, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पछिले वर्ष के पहले दिन प्रतिवर्ष ली जाने वाले ब्याज के बराबर राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। अधिकतम बकाया मासिक शेष पर ब्याज से कम, यदि कोई हो, वास्तव में ऊपर दी गई राशि के लिए उसके द्वारा भुगतान इससे ज्यादा हो: रु. 20,000.

इस तरह के ऋण के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चार्ज की जाने वाली दर 14.10%<sup>6</sup> प्रतिवर्ष है (जो समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है)। चूंकि कर्मचारी के पक्ष में रियायत का मूल्य, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर और नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली दर के बीच का अंतर होगा (वर्तमान मामले में शून्य, क्योंकि नियोक्ता ब्याज नहीं लेगा), रियायत का मूल्य 14.1 होगा, जो अधिकतम बकाया मासिक शेष राशि पर 0% है। चूंकि ब्याज, मुक्त/रियायती ऋण के कारण बने अनुत्पादक मूल्य पर टैक्स की ज़िम्मेदारी आपकी होगी, नियोक्ता उचित दर पर उस पर टैक्स रोक लेगा।

अगर आप नियोक्ता से फाइनेंसिंग लेते हैं, तो आपके ऊपर कोई सामाजिक सुरक्षा टैक्स बकाया नहीं होगा।

### चर्च:

1. समीर ने इतने रुपये का ऋण लिया। यह ऋण 18,000 जनवरी को अपने नियोक्ता से 1, 2026, L'Air Liquide शेयरों की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लिया गया था। इसलिए, कोई भी राशि टैक्स योग्य नहीं है क्योंकि 20,000 ऋण राशि रुपये से कम है। बशर्ते यह ऋण (या अन्य बकाया ब्याज मुक्त ऋण) कुल मिलाकर, रु 20,000 से ज्यादा नहीं है।
2. समीर ने 1 जनवरी 2026, को L'Air Liquide शेयरों की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अपने नियोक्ता से 100,000 रुपये का ऋण लिया। ऋण 12 महीने की अवधि में मासिक पेरॉल कटौती के माध्यम से चुकाने योग्य है। रियायत पर टैक्स से छूट के रूप में ऋण राशि रुपये से अधिक नहीं है। 20,000.

**रियायत की गणना:** वर्ष 2025-26 के लिए रियायत मूल्य की गणना इस प्रकार की जाती है:

1 जनवरी, 2026 को एक कर्मचारी ने एक ब्याज मुक्त व्यक्तिगत ऋण लिया। इसे 100,000, बारह कसितों में वापस पाया गया। पेरॉल कटौती के माध्यम से पुनर्भुगतान, प्रत्येक महीने के अंतिम दिन होता है, जिसमें पहली ऋण कसित 31 जनवरी, 2026 को देय होती है। 1 अप्रैल, 2025 तक एसबीआई की ब्याज दर 14.10% प्रतिवर्ष मानी जाती है।

<sup>3</sup> एलआरएस योजना के तहत, कोई निवासी एक व्यक्ति वित्तीय वर्ष (1st अप्रैल से 31st मार्च) के बीच आरबीआई से पूर्व अनुमति के बिना भारत के बाहर 250,000 अमेरिकी डॉलर तक की धनराशि भेज सकता है। यह योजना केवल व्यक्तिगतों के लिए उपलब्ध है।

<sup>4</sup> 1 अप्रैल, 2025 से, एलआरएस के तहत बाहर जाने वाले विदेशी रीमिटेंस के लिए स्रोत पर टैक्स संग्रह (टीसीएस) 20% है। इसकी रुपए में अधिकतम सीमा है: 1,000,000. नियोक्ता को कार्यान्वयन और वसूली तंत्र पर बैंक से मार्गदर्शन लेना चाहिए।

<sup>5</sup> आयकर अधिनियम के अंतर्गत, वेतन आय पर टीसीएस की कटौती से संबंधित प्रावधानों में अब संशोधन किया गया है, ताकि कर्मचारियों को उनकी वेतन आय से कटौती की जाने वाले टैक्स की गणना करते समय उपलब्ध टीसीएस या टीसीएस क्रेडिट को भी इसमें शामिल किया जा सके।

<sup>6</sup> प्रोजेक्शन रेट। ब्याज दर समय-समय पर बदलती है। नियोक्ता द्वारा दोबारा पुष्टि की जाएगी

कर्मचारी को ब्याज मुक्त / रियायती ऋण-रियायत का मूल्यांकन - वित्तीय वर्ष 2025-26		
एसबीआई ब्याज के रूप में 01-04-2025		14.10% <sup>7</sup>
नधिकृता द्वारा लिया गया वास्तविक ब्याज (रु.)		0
पर बकाया ऋण 01-01-2026		100,000
मासिक पुनर्भुगतान कसित		8,333
महीना	माह के अंतिम दिनि बकाया अधिकतम राशि	रियायत मूल्य <sup>8</sup> (एसबीआई की दर के अनुसार ब्याज)
जनवरी-26	91,667	1077
फ़रवरी-26	83,333	979
मार्च-26	75,000	881
अप्रैल-26	66,667	783
मई-26	58,333	685
जून-26	50,000	588
जुलाई-26	41,667	490
अगस्त-26	33,333	392
सितम्बर-26	25,000	294
अक्टूबर-26	16,667	196
नवंबर-26	8,333	98
दिसंबर-26	0	0
कुल ब्याज / रियायत मूल्य		6463
कम: वापसी		0
रियायत का मूल्यांकन		6463

टैक्स उद्देश्यों के लिए, 31 मार्च, 2026 तक, एफ़वाई के लिए कर्मचारी की आय में 2025-26 में अतिरिक्त मूल्य जोड़ा जाएगा और टैक्स लगाया जाएगा। अप्रैल 2026 से दिसंबर 2026 तक, कर्मचारी पर संबंधित वित्तीय वर्ष में टैक्स लगाया जाएगा।

## myAL myShare 2025 के दौरान

### क्या वतिरण की स्थितिमें डविडेंट पर कोई टैक्स या सामाजिक सुरक्षा शुल्क देय है?

हाँ।

**फ़्रांस में टैक्सेशन**

L’Air Liquide S.A. द्वारा आपको भुगतान किया गया डविडेंट 12.8% के फ़्रांसीसी वदिहोलडगि टैक्स के अधीन होगा जब तक कएिेक गैर-सहकारी राज्य या क्क्षेत्र (एनसीएसटी)में खोले गए बैंक खाते में भुगतान नहीं किया जाता है<sup>9</sup>, जो फ़्रांस में 75% वदिहोलडगि टैक्स को ट्रगिर करेगा।

**भारत में टैक्सेशन**

5 साल की लॉक-अप अवधि के दौरान आपके शेयरों पर भुगतान कएिे गए कसी भी डविडेंट का भुगतान आपको किया जाएगा (फ़रेंच वदिहोलडगि टैक्स और अन्य लेवी की कटौती के बाद)। हालांकि, यह भारत में भी टैक्स योग्य होगा, क्योंकि एक वदिशी कंपनी के डविडेंट भारतीय टैक्स कानूनों के तहत टैक्स योग्य है। यह आय आपकी अन्य आय में जोड़ दी जाएगी, और डविडेंट आय सहित कुल आय, «**अन्य स्रोतों से आय**» शीर्षक के अंतर्गत टैक्स योग्य होगी। डविडेंट पर टैक्स का भुगतान करने की देयता आपके साथ नहिति है, और आपका नयिेकृता टैक्स को रोकने या उसी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आप डविडेंट पर टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, और आपका नयिेकृता इसे रोकने या भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अपना आयकर रटिरन (आईटीआर) दाखलि करते समय, आपको L’Air Liquide शेयरों से अर्जति डविडेंट की रपिेर्ट करनी होगी। उचति आईटीआर फ़ॉर्म (आईटीआर-2) का उपयोग करके टैक्स रटिरन में मूल्य की परवाह कएिे बनिा, ऐसी रपिेर्टगि आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अनुभाग देखें “**रपिेर्टगि दायित्वों**”। L’Air Liquide S.A. से प्राप्त डविडेंट भारत और फ़्रांस दोनों में टैक्स के अधीन होगा। हालांकि, यदि L’Air Liquide S.A. द्वारा घोषति डविडेंट पर टैक्स फ़्रांस में वदिहोलडगि/कटौती की गई है, तो आप भारत-फ़्रांस डीटीए संधि के तहत भारत में दोहरे टैक्स से राहत का दावा कर सकते हैं, जो भारतीय आयकर कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन के अधीन है। दूसरे शब्दों में, डविडेंट के दोहरे टैक्सेशन के मामले में, डविडेंट आय पर फ़्रांस में भुगतान कएिे गए टैक्स के संबंध में टैक्स क्रेडिट भारत-फ़्रांस डीटीए संधि के तहत भारत में उपलब्ध होगा, और दोहरे टैक्सेशन से बचा जा सकता है। यानी आपको एक ही इनकम पर दोगुना टैक्स नहीं देना होगा। हालाँकि, ऐसा टैक्स क्रेडिट भारत में डविडेंट आय पर देय आयकर से अधिक नहीं हो सकता है।

अन्य आवश्यकताओं के अलावा, वदिशी टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए, आपको फ़ॉर्म 67 में वदिशी आय और उस पर भुगतान कएिे गए टैक्स का वतिरण प्रसुतुत करना होगा, जसिे रटिरन दाखलि करने की नयित तारीख को या उससे पहले आपके आयकर रटिरन के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किया जाना चाहिए। अगर भारत में कोई टैक्स देय नहीं है, तो कसी वदिशी देश (फ़्रांस) में भुगतान कएिे गए टैक्स के लिए क्रेडिट या धनवापसी का दावा नहीं किया जा सकता है। अधिक वशिषिट सलाह के लिए, कृपया अपने टैक्स सलाहकार से परामर्श करें।

टैक्सेशन की दर। टैक्सेशन की दर डविडेंट आय सहित आपकी कुल आय पर नरिेभर करेगी, और आप पर प्रगतशील स्लैब-वार दरों (और लागू टैक्स वयवस्था) पर 30% तक, साथ ही लागू सरचारज और स्वास्थ्य और शकिषा सेस पर टैक्स लगाया जाएगा। कृपया «**रडिीम करने पर**» सेक्शन के तहत दरों के लिए तालकिा देखें। उदाहरण के लिए, यदि आप 30% टैक्स स्लैब दर में आते हैं, तो इस तरह के डविडेंट पर लागू सरचारज और स्वास्थ्य और शकिषा सेस के साथ 30% पर भी टैक्स लगाया जाएगा। चूंकि डविडेंट € में घोषति किया जाता है, इसलिए आपको डविडेंट के मूल्य को € में बदलना होगा, इसके लिए आपको इसकी राशि को € में एसबीआई IT खरीद दर का INR से गुणा करना होगा, जो कउिस महीने से पहले के महीने के अंतिम दिनि की होगी जसिमें डविडेंट घोषति, वतिरति या भुगतान किया गया था।

<sup>7</sup> एसबीआई ब्याज दर (अनंतमि) 1 अप्रैल 2025 तक (व्यक्तगित ऋण के लिए)। दोबारा पुष्टि बैंक के साथ नयिेकृता द्वारा की जाएगी। नयिेकृता को 1 अप्रैल 2026 वतिि वर्ष 2026-27 के लिए एसबीआई की ब्याज दर की भी पुष्टि करनी चाहिए

<sup>8</sup> रियायत मूल्य = अधिकतम बकाया मासिक शेष (समापन शेष) x 14.10% / 12

<sup>9</sup> एनसीएसटी की सूची हर साल संशोधति की जा सकती है। एनसीएसटी के रूप में अरहता प्राप्त करने वाले राज्य और क्क्षेत्र वर्तमान में नमिनलखिति हैं: ँगुडला, ँटीगुआ और बारबुडा, तुर्क और कैकोस द्वीप और वानुअतु।

## क्या मुझे लॉक-अप अवधि के अंत में किसी भी टैक्स और/या सामाजिक सुरक्षा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होगी, भले ही मैं L’Air Liquide शेयर न बेचूँ?

यदि आप L’Air Liquide शेयरों में निवेशित रहते हैं तो 5 साल की लॉक-अप अवधि के अंत में आपके या आपके नियोक्ता के लिए कोई टैक्स नहीं बनता है।

## रडीम करने पर

### क्या आपके L’Air Liquide शेयरों को रडीम करने या बेचने पर कोई टैक्स या सामाजिक सुरक्षा शुल्क देय है?

#### (1) फ्रांस में टैक्सेशन

आप अपने शेयरों की बिक्री पर प्राप्त लाभ, यदि कोई हो, पर फ्रांस में आयकर के अधीन नहीं होंगे।

#### (2) भारत में टैक्सेशन

भारत में, आप अपने शेयरों के रडिप्शन/बिक्री पर प्राप्त लाभ या लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स के अधीन हैं। आयकर के अलावा, कोई सामाजिक सुरक्षा टैक्स या अन्य शुल्क देय नहीं हैं।

#### टैक्स की प्रकृति (जैसे, आय, कैपिटल गेन या टैक्स का दूसरा रूप)

शेयरों के रडिप्शन/बिक्री पर आपको हुए किसी भी लाभ या हानि को कैपिटल गेन या लॉस के रूप में माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, कैपिटल गेन टैक्स केवल शेयरों के रडिप्शन/बिक्री के समय कए गए लाभ पर लागू होगा।

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, कैपिटल एसेट (यहाँ रडीम करने या शेयरों की बिक्री) को ट्रांसफर करने से होने वाले किसी भी लाभ या प्राप्तियों पर “कैपिटल गेन” शीर्षक के तहत आयकर लगाया जाएगा। इसी तरह, आप शेयरों को बेचने और इस तरह के लाभ के कारण लागू टैक्स का भुगतान करने पर किसी भी कैपिटल गेन (या लॉस) की घोषणा करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। शेयरों के रडिप्शन/बिक्री के समय आपके नियोक्ता के पास कोई विदेशी लॉडिंग टैक्स दायित्व नहीं होगा।

### टैक्स योग्य राशिकी गणना करने का तरीका क्या है?

कैपिटल गेन की गणना बिक्री परतफ़िल के बीच के अंतर के रूप में की जाती है<sup>10</sup> रडीम करने / बेचने और (एफएमवी) सब्सक्रिप्शन के समय L’Air Liquide शेयरों के उचित बाजार मूल्य पर। इसी तरह, अगर खरीद के समय बिक्री मूल्य एफएमवी से अधिक है, तो कैपिटल गेन होता है। वहीं, अगर खरीद के समय बिक्री मूल्य एफएमवी से कम है, तो यह कैपिटल लॉस की ओर जाता है। दूसरे शब्दों में, कैपिटल गेन टैक्स केवल तब लगाया जाएगा कया जाएगा जब शेयरों को लाभ पर भुनाया/बेचा जाता है (वसूली गई वास्तविक राशि और सब्सक्रिप्शन के वर्ष में फॉर्म 12बीए में उल्लिखित रियायत की राशि)। इसलिए, सब्सक्रिप्शन के समय, अधिग्रहण लागत के रूप में (20% छूट की परवाह किए बिना) शेयरों के एफएमवी से कैपिटल गेन की गणना की जाएगी।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत आने वाली आय की गणना शेयरों के रडिप्शन/बिक्री से माली राशिकी मूल्य, सब्सक्रिप्शन पर शेयरों के एफएमवी और शेयरों के ट्रांसफर के लिए पूरा और विशेष रूप से कए गए किसी भी व्यय से कटौती करके की जाएगी।

उदाहरण: अगर आप शेयरों के रडिप्शन के समय भारत में टैक्स रेज़िडेंट हैं, तो कैपिटल गेन की गणना नमिनल खिति तरीके से की जाएगी:

	राशि
शेयरों को रडीम करने / बिक्री से	X
अधिग्रहण की लागत के रूप में सब्सक्रिप्शन पर शेयरों का एफएमवी <sup>11</sup>	Y
शेयरों के रडिप्शन / बिक्री के संबंध में कया गया व्यय	Y1
<b>कैपिटल गेन (Z) =</b>	<b>X – (Y+Y1)<sup>12</sup></b>

चूंकि L’Air Liquide शेयर भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, इसलिए टैक्स उपचार भारत में गैर-सूचीबद्ध शेयरों के समान होगा। कैपिटल गेन की प्रकृति, यानी, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, शेयरों की होल्डिंग अवधि पर निर्भर करेगा। अगर शेयर एक खास अवधि के लिए रखे जाते हैं चौबीस (24) महीने से अधिक, तो कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म के रूप में माना जाएगा; नहीं तो, (जैसे, चौबीस (24) महीने से कम के लिए रखा जाए), तो शॉर्ट टर्म कैपिटल के रूप में माना जाएगा। होल्डिंग अवधि की गणना आवंटन की तारीख से बिक्री की तारीख तक की जाती है।

#### चर्चण:

- समीर Air Liquide इंडिया के वेतनभोगी कर्मचारी हैं। जनवरी 2026 में, उन्होंने L’Air Liquide शेयरों का सब्सक्रिप्शन लिया। समीर ने दिसंबर 2030 में लॉक-अप अवधि के अंत में सभी शेयरों को भुनाया/बेचा। चूंकि L’Air Liquide शेयरों की होल्डिंग की अवधि 24 महीने से अधिक है, इसलिए शेयरों को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के रूप में माना जाएगा, और कैपिटल गेन, यदि कोई हो, तो अर्जति पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में टैक्स लगाया जाएगा।
- समीर Air Liquide इंडिया के वेतनभोगी कर्मचारी हैं। जनवरी 2026 में, उन्होंने L’Air Liquide शेयरों का सब्सक्रिप्शन लिया। एक जल्दी निकास मामले के कारण, समीर ने मई 2027 में शेयर बेच दिए, यानी 24 महीने से कम समय तक शेयर रखने के बाद। इसलिए, शेयरों को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के रूप में माना जाएगा, और किसी भी कैपिटल गेन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में टैक्स लगाया जाएगा।

लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग-अलग होता है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नीचे दी गई है।

#### टैक्सेशन की दर

- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन: वर्तमान में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 12.5%<sup>13</sup> है। साथ ही, लागू होने वाले सरचार्ज और स्वास्थ्य और शिक्षा सेस भी देय हैं।
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर्मचारी की आय में शामिल होते हैं और नीचे दिए गए आयकर दर के स्लैब के अनुसार टैक्स लिया जाता है।

<sup>10</sup> रडिप्शन/बिक्री के महीने से पहले वाले महीने के अंतिम दिन तक यूरो (€) की एसबीआई IT की खरीद दर को रडीम/स्वचि करने पर बिक्री से माली राशिकी रुपये में बदलने के लिए विचार किया जाना चाहिए।

<sup>11</sup> सब्सक्राइब करते समय शेयरों का उचित बाजार मूल्य ‘अधिग्रहण की लागत’ माना जाएगा।

<sup>12</sup> शेयरों को बिक्री के कारण किसी भी लाभ या हानि की गणना के बारे में अतिरिक्त जानकारी पाने और उपलब्ध विकल्पों पर विचार करने के लिए आपको अपने व्यक्तिगत कर सलाहकार से परामर्श करना चाहिए।

<sup>13</sup> शेयरों के ट्रांसफर पर बनने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जुलाई 23, 2024 से 12.50% टैक्स लगाया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पर कोई इंडेक्सेशन लाभ उपलब्ध नहीं है।



उदाहरण: अगर आप शेयरों के रडिंप्शन/बिक्री के समय भारत में टैक्स रेजिडेंट हैं, तो कैपिटल गेन की गणना नमिनलखिति तरीके से की जाएगी:

#### आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं:

##### ए. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन

समीर ने जनवरी 2026 में L'Air Liquide के शेयरों का सब्सक्रिप्शन लिया, जिसका उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) (यानी, उनके योगदान के माध्यम से सब्सक्राइब किए गए शेयरों का एफएमवी) 150,000 रुपये था। समीर ने दिसंबर 2030 में लॉक-अप अवधि के अंत में सभी शेयर 330,000 रुपये में बेच दिए। चूंकि ये एक गैर-सूचीबद्ध (भारतीय) कंपनी के शेयर हैं, इसलिए समीर को 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।

##### लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की गणना:

- सभी शेयरों का खरीद मूल्य = रु. 150,000

- शेयरों का बिक्री मूल्य = रु. 330,000

समीर द्वारा अर्जति कैपिटल गेन रु. 180,000 होगा, नमिनलखिति गणना के अनुसार:

**बिक्री मूल्य - (अधगिरहण की लागत के रूप में सब्सक्रिप्शन पर शेयरों का एफएमवी) = 330,000 - (150,000) = रु. 180,000।**

इसलिए, 12.5% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा रु. 180,000 x 12.5/100 = Rs. 22,500, साथ ही लागू सरचार्ज, स्वास्थ्य और शिक्षा सेस।

##### बी. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स

समीर L'Air Liquide इंडिया के वेतनभोगी कर्मचारी हैं। जनवरी 2026 में, उन्होंने L'Air Liquide शेयरों का सब्सक्रिप्शन लिया। एक जल्दी निकास मामले के कारण, समीर ने मई 2027 में शेयर बेच दिए, यानी 24 महीने से कम समय तक शेयर रखने के बाद। इसलिए, L'Air Liquide शेयरों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में माना जाएगा, और किसी भी कैपिटल गेन पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में टैक्स लगाया जाएगा।

इस मामले में, शेयरों की बिक्री से होने वाली आय को समीर की नयिमति आय में जोड़ा जाएगा और लागू स्लैब दरों के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा, साथ ही सरचार्ज और स्वास्थ्य और शिक्षा सेस लिया जाएगा।

#### आयकर स्लैब दरें

1961 के आयकर अधिनियम के अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा अर्जति आय पर आयकर लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की आय, न्यूनतम सीमा (मूल छूट सीमा) से अधिक है, तो टैक्स का आकलन स्लैब के अनुसार किया जाता है।

#### आय 2026-27 के लिए आयकर स्लैब और दरें (वित्त वर्ष 2025-26)

(60 वर्ष से कम के व्यक्ति)

वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रभावी, सरकार ने टैक्स लेने की एक वैकल्पिक पद्धति की घोषणा की, जिससे व्यक्तिगत करदाताओं को दो टैक्स व्यवस्थाओं के बीच चुनने की अनुमति मिलती है: पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई, रियायती व्यवस्था। पुरानी टैक्स व्यवस्था में करदाताओं को मौजूदा टैक्स छूट जैसे मकान करिया भत्ता, छुट्टी यात्रा भत्ता और आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कटौती जारी रखने की अनुमति थी<sup>14</sup>। जबकि, नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों को कम दरों पर टैक्स का भुगतान करना होगा, लेकिन उन्हें आयकर अधिनियम के तहत मिलने वाली अधिकांश टैक्स छूट और कटौती को छोड़ना होगा<sup>15</sup>। पुरानी टैक्स व्यवस्था आयकर गणना और टैक्स स्लैब की उस प्रणाली पर आधारित है, जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी नई टैक्स व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। कानून के मुताबिक, नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट व्यवस्था है, जिसमें टैक्स भरने वाले के लिए पुरानी व्यवस्था चुनने का विकल्प है। नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट की सीमा में वृद्धि के साथ अधिक टैक्स स्लैब मिलते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था (60 वर्ष से कम आयु के करदाता) बनाम नई टैक्स व्यवस्था स्लैब दरों की तुलना (एससेमेंट वर्ष 2026-27) इस प्रकार है:

आयकर स्लैब	नई टैक्स व्यवस्था (रु.)	पुरानी टैक्स व्यवस्था
शून्य	0 - 400,000	0 - 250,000
5%	400,001 से 800,000	250,001 से 500,000
10%	800,001 से 1,200,000	
15%	1,200,001 से 1,600,000	
20%	1,600,001 से 2,000,000	500,001 से 1,000,000
25%	2,000,001 से 2,400,000	
30%	2,400,000 से ऊपर	1,000,000 से ऊपर

#### नोट्स:

- मूल छूट सीमा है रुपये: 250,000 (पुरानी व्यवस्था) / रु नई व्यवस्था में 60 से नीचे के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 400,000; नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब दरों को आयु वर्ग के आधार पर अलग-अलग नहीं किया जाता है। हालांकि, पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत, वर्ष 60 से 80 वर्ष की आयु और सुपर वर्ष 80 नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) के लिए टैक्स से मुक्त मूल आय सीमा रु.: 300,000 और रु. क्रमशः 500,000.
- आयकर का 10% का सरचार्ज यदि किसी व्यक्ति की कुल आय इससे अधिक है 50 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम।
- आयकर का 15% का सरचार्ज यदि किसी व्यक्ति की कुल आय इससे अधिक है 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम।
- आयकर का 25% का सरचार्ज यदि किसी व्यक्ति की कुल आय इससे अधिक है 2 करोड़
- स्वास्थ्य और शिक्षा सेस, आयकर और सरचार्ज का 4% है।
- धारा 111ए के अंतर्गत आने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंट की आय के लिए सरचार्ज दर 15% तक सीमित है।
- आय वाले व्यक्तियों के मामले में लागू सीमा और सरचार्ज तथा अधिकतम मार्जिनल टैक्स दर (एमएमआर) नमिनलखिति हैं:

<sup>14</sup> वैकल्पिक पुरानी व्यवस्था के तहत टैक्स की दरें और स्लैब एफवाई अपरिवर्तित रहते हैं। 2025-26, इसी तरह, वैकल्पिक पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब, दरें, सरचार्ज, सेस, छूट और मानक कटौती में भी बदलाव नहीं होता। साथ ही, नई और पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं का सह-अस्तित्व बना हुआ है। दोनों के बीच चुनाव आपकी टैक्स कटौती और छूट की वजह से आपकी टैक्स योग्य आय में आने वाले अंतर पर निर्भर करेगा। दो व्यवस्थाओं के बीच चुनने का विकल्प, अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग हो सकता है। दोनों व्यवस्थाओं का तुलनात्मक मूल्यांकन और विश्लेषण करना और फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक चुनाव करना चाहिए।

<sup>15</sup> छूट/कटौती की सूची जो नई टैक्स व्यवस्था चुनने पर, करदाता को छोड़नी पड़ सकती है:- छुट्टी यात्रा भत्ता, मकान करिया भत्ता, वाहन, रोजगार के दौरान दैनिक खर्च, पुनर्वास भत्ता, सहायक भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता, अन्य विशेष भत्ते (धारा 10(14)), मानक कटौती, व्यावसायिक कर, आवास ऋण पर ब्याज (धारा 24), अध्याय छठी-ए कटौती (धारा 80 सी, 80 डी, 80 ई और इसी तरह, धारा 80 सीसीडी(2) और 80 जेजे को छोड़कर)।

कुल आय	पुरानी टैक्स व्यवस्था	नई टैक्स व्यवस्था
	सरचार्ज की दर / MMR	
इतने रुपये तक: 50 लाख	शून्य	शून्य
50 लाख से 1 करोड़ के बीच	10% / 34.32% (MMR)	10% / 34.32% (MMR)
1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच	15% / 35.88% (MMR)	15% / 35.88% (MMR)
2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच	25% / 39% (MMR)	25% / 39% (MMR)
5 करोड़ के ऊपर	37% / 42.74% (MMR)	25% / 39% (MMR)

**नोट:** नई टैक्स व्यवस्था के तहत, किसी व्यक्ति की टैक्स देयता पर लगाया जाने वाला अधिकतम सरचार्ज 25% तक सीमिति कर दिया गया है।

8. नई टैक्स व्यवस्था के तहत, मानक कटौती है: 75,000 रु. पुरानी टैक्स व्यवस्था में मानक कटौती में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए, वेतनभोगी करदाता केवल इतने रुपये की मानक कटौती के लिए पात्र हैं पुरानी व्यवस्था के तहत 50,000।

9. नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट व्यक्तिगत टैक्स संरचना बनाया गया है। हालाँकि, करदाता अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं। नई टैक्स व्यवस्था वैकल्पिक है और पुरानी व्यवस्था के साथ सह-अस्तित्व में रहेगी, जिसमें तीन टैक्स स्लैब और करदाताओं के लिए उपलब्ध विभिन्न छूट और कटौती शामिल हैं। नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स देने का विकल्प चुनने वाले व्यक्तियों को कुछ छूट और कटौतियाँ छोड़नी पड़ती हैं। दूसरी ओर, पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले लोग, वित्त वर्ष 2025-26 में अपनी आय पर टैक्स का भुगतान करना जारी रखेंगे, जैसा कि उन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 में किया था।

10. 1 अप्रैल, 2025 से, अगर किसी नविसी व्यक्ति की टैक्स योग्य आय 1,200,000 रुपये के बराबर या उससे कम है, तो नई टैक्स व्यवस्था चुनने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 87ए के तहत माली टैक्स राहत के कारण उसका देय टैक्स शून्य होगा। दूसरे शब्दों में, एक नविसी व्यक्ति (जिसकी शुद्ध आय रु 1,200,000 से कम है) अधिनियम की धारा 87 ए के तहत छूट का लाभ उठा सकते हैं। शिक्षा सेस की गणना करने से पहले आयकर से यही कटौती की जाएगी। प्रभावी रूप से, इसका मतलब यह होगा कि 1,200,000 रुपये तक की शुद्ध टैक्स योग्य आय वाले लोगों (विशेष आय को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन) को नई व्यवस्था के तहत कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरे शब्दों में, नई टैक्स व्यवस्था के तहत 1,200,000 रुपये तक की वार्षिक आय (75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लिए 1,275,000 रुपये) पर कोई टैक्स स्लैब लागू नहीं होगा। इसलिए, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत 1,275,000 रुपये तक की आय पर टैक्स देयता शून्य है।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त टैक्स दरें बदल सकती हैं, क्योंकि वे उस निर्धारण वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती हैं जिसमें डिसिोजल या रडिप्शन होता है।

## क्या आपके ऊपर सब्सक्रिप्शन, होल्डिंग, L'Air Liquide शेयरों के रडिीम किए जाने और डिविडेंड की प्राप्ति से संबंधित रिपोर्टिंग दायित्व है?

अगर आप आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार नविसी और सामान्य रूप से नविसी हैं, तो उस स्थिति में, आप भारत और फ्रांस के बीच संधि के तहत उपलब्ध लाभों, यदि कोई हो, के अधीन, भारत में अपनी वैश्विक आय पर कराधान के अधीन होंगे। इसलिए, आपको होल्डिंग अवधि (सब्सक्रिप्शन के वर्ष से शुरू, डिविडेंड की प्राप्ति (यदि कोई हो) और आपके आयकर रिटर्न में रडिीम किए जाने के समय अर्जति कैपिटल गेन के दौरान L'Air Liquide S.A. में myAL myShare 2025 के तहत अपने नविश का खुलासा करना होगा (फॉर्म आईटीआर-2) संबंधित वित्तीय वर्ष में।

### आपके आयकर रिटर्न («आईटीआर») में टैक्स रिपोर्टिंग

कानून के अनुसार, आयकर रिटर्न (आईटीआर) में विदेशी संपत्ति का खुलासा करना उन नविसी करदाताओं के लिए अनिवार्य है, जिनके पास पूरे लेखा वर्ष के दौरान किसी भी समय निरदिष्ट विदेशी संपत्ति है। इस प्रकार, अपना आयकर रिटर्न (फॉर्म आईटीआर - 2 में) दाखिल करते समय, आपको L'Air Liquide S.A. में आपके पास मौजूद शेयरों और उससे अर्जति विदेशी-स्रोत आय की रिपोर्ट करनी होगी। उचित आईटीआर फॉर्म (आईटीआर-2)<sup>16</sup> का उपयोग करके टैक्स रिटर्न में (मूल्य की परवाह किए बिना) ऐसी रिपोर्टिंग आवश्यक है। इसके अलावा, L'Air Liquide शेयरों के मूल्य/लागत के अलावा, अर्जति आय (रुपये में) शेयरों से, आय की प्रकृति, और आय का प्रमुख जिसके तहत टैक्स को ऐसी आय की पेशकश की जा रही है, को सूचित किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि शेड्यूल एफ़.ए. में आपको, आयोजित विदेशी परिसंपत्तियों (L'Air Liquide S.A. में शेयर) का विवरण प्रदान करना होगा। [भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी संपत्ति और आय का विवरण] आईटीआर फॉर्म और अनुसूची विदेशी स्रोत आय (एफ़एसआई) भरें, अनुसूची अल<sup>17</sup> और आय की वापसी की अनुसूची टैक्स राहत (टीआर), जिसमें विदेशी देश में करदाता की पहचान संख्या (यदि लागू हो), अर्जति विदेशी आय का प्रकार, आय की राशि, उस पर भुगतान किए गए विदेशी टैक्स और ऐसी आय पर देय भारतीय टैक्स जैसे विवरणों का खुलासा करना आवश्यक है। लागू रिपोर्टिंग दायित्वों का अनुपालन पक्का करने के लिए आपको अपने टैक्स सलाहकार से परामर्श करना चाहिए।

जब भारत में टैक्स उद्देश्यों के लिए विदेशी नविश और स्टॉक का खुलासा करने की बात आती है, तो कुछ विशिष्ट दिशा-निर्देश का पालन करना चाहिए। इन नविशों को «कोई अन्य धारित पूंजीगत परिसंपत्ति» के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इन्हें आपके आईटीआर फॉर्म (आईटीआर-2) में अनुसूची एफ़.ए. के अंतर्गत टेबल डी में रिपोर्ट किया जाना चाहिए, तथा इन परिसंपत्तियों का मूल्य विदेशी मुद्रा से परिवर्तित करने के बाद रुपये में घोषित किया जाना चाहिए।

डिविडेंड को उनके भुगतान के साल में, अन्य स्रोतों से आय के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और कर्मचारियों को उस डिविडेंड पर लागू टैक्स का भुगतान करना होगा। डिविडेंड पर उस वर्ष में टैक्स लगता है, जिस साल वे अर्जति किए जाते हैं, भले ही उनका भारत में रेमिटेंस किया गया हो या उनका फ़रि से नविश कर किया गया हो।

आईटीआर - 2 फॉर्म में विदेशी संपत्ति या नविश करने वाले कर्मचारियों के लिए कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय आयोजित संपत्ति को प्रकट करने की आवश्यकता होती है। इस प्रयोजन के लिए, विदेशी देश द्वारा अपने खाते बंद करने के लिए अपनाई गई अकाउंटिंग अवधि को परिसंपत्तियों की रिपोर्टिंग के लिए अकाउंटिंग अवधि माना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आईटीआर दाखिल कर रहे हैं, आपको 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक आपके पास मौजूद सभी विदेशी संपत्तियों का खुलासा करना होगा, जैसा कि अधिकांश देश मूल्यांकन के लिए कैलेंडर वर्ष का पालन करते हैं, भारत के विपरीत, जहाँ वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। यानी, अगर आपने दिसंबर 2025 में विदेशी स्टॉक/शेयर खरीदे हैं, तो उन्हें अभी भी वित्त वर्ष 26 में अनुसूची एफ़.ए. में घोषित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, जनवरी 2026 और मार्च 2026 के बीच अर्जति स्टॉक/शेयर या किसी भी संपत्ति का खुलासा वर्तमान आईटीआर फाइलिंग में नहीं बल्कि आकलन वर्ष 2027-28 में करना होगा।

<sup>16</sup> आईटीआर में विदेशी संपत्ति का खुलासा करने में वफ़िलता 2015 के काले धन अधिनियम के तहत दंड दिया जा सकता है।

<sup>17</sup> वर्ष के अंत में अल - संपत्तियों और देनदारियों को शेड्यूल करें (उस मामले में लागू जहाँ कुल आय 50 लाख ज्यादा हो)

आयकर रटिर्न में वदिशी संपत्त अनसूची भरना कसिके लिए ज़रूरी है?

यदि आप पछिले वर्ष में भारत के टैक्स नवासी हैं, आपके पास वदिशी संपत्तिया बैंक खाते हैं या पछिले वर्ष के दौरान वदिशी आय अर्जति की है, तो आपको एफए भरना होगा। अनुसूची ए.

लागू सलैब दर के बावजूद, अगर आप वत्तीय वर्ष में किसी भी समय कोई वदिशी संपत्त रखते हैं तो आपको आईटीआर दाखल करना होगा।

भारत में रहने वाले कर्मचारियों को 31 दसिंबर, 2025 को आयोजति वदिशी संपत्त के लिए वदिशी संपत्त अनसूची को भरना होगा, भले ही:

- आपके पास कोई टैक्स योग्य आय नहीं है या आपकी आय मूल छूट सीमा के भीतर आती है। उसी जानकारी को किसी अन्य शेड्यूल में कैप्चर किया जाता है, जैसे शेड्यूल AL।

- वदिशी संपत्त को घोषति वदिशी या घरेलू आय स्रोतों से प्राप्त किया जाता है।

एफए में एक संपत्त का खुलासा करने में वफ़िल रहने पर अनुसूची एक जुरमाना ट्रगिर कर सकती है, जबकि टैक्स के लिए किसी भी आय की रपिर्ट नहीं करने के परिणामस्वरूप जुरमाना भी हो सकता है।

फॉर्म आईटीआर-2 में घोषणा का प्रारूप जब आप L’Air Liquide S.A. में शेयरों में नविश करते हैं।<sup>18</sup>:

31 दसिंबर, 2025 को समाप्त होने वाले कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारति किसी भी अन्य कैपिटल एसेट (किसी भी लाभकारी ब्याज सहति) का वविरण											
SN	देश का नाम और कोड	पनि कोड	संपत्त की प्रकृति	स्वामित्व- सीधा / लाभकारी स्वामी / लाभार्थी	अधगिरहण की तारीख <sup>19</sup>	कुल नविश (लागत पर) (रुपये में) <sup>20</sup>	संपत्त से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	आयकर योग्य और इस रटिर्न में ऑफ़र की गई		
									राशि	अनुसूची जहाँ की ऑफ़र किया गया	अनुसूची की आईएम संख्या
1	(2)	2 बी	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

अगर आप शेयरों की शुरुआती बकिरी/रडिप्शन से कैपिटल गेन कमाते हैं

	फ़्रांस एफ़आर		ESOP योजना के तहत L’Air Liquide S.A. में शेयर	कानूनी मालकि	(यदि आप अन्य ESOP योजनाओं के तहत शेयर रखते हैं, तो कृपया संबंधति वविरण अलग से डालें.) कृपया किसी टैक्स सलाहकार से परामर्श करें।	(फुटनोट 20 देखें)	शून्य (अगर जनवरी 2026 से दसिंबर 2026 तक कोई बकिरी नहीं है)। जब भी बेचा जाए, तो कृपया बकिरी मूल्य को बकिरी होने वाले महीने के ठीक पहले वाले महीने के अंतमि दनि की एसबीआई IT खरीद दर से गुणा करके, बेचे गए शेयरों के अनुपात में क्लास 6 में, नविश लागत को घटाकर बताएँ। कृपया किसी टैक्स सलाहकार से परामर्श करें।	शून्य। कृपया केवल शेयरों की बकिरी के मामले में ही भरें और होल्डिंग अवर्धा के आधार पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चुनें। कृपया किसी टैक्स सलाहकार से परामर्श करें।	शून्य (यदि अधगिरहण की तारीख से दसिंबर 2026 तक शेयरों की बकिरी नहीं होती है)। कृपया केवल शेयरों की बकिरी करने पर ही, कैपिटल गेन (टैक्स योग्य) भरें <sup>21</sup> । कृपया किसी टैक्स सलाहकार से परामर्श करें।	शून्य। कृपया केवल शेयरों की बकिरी के मामले में ही अनुसूची CG लिखें	शून्य। कृपया लिखें बी(9) – परसिंपत्तियों की बकिरी से जहाँ ऊपर बी1 से बी8 लागू नहीं होते हैं- केवल शेयर बेचने पर ही और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (शॉर्ट टर्म होने पर, कृपया कैपिटल गेन सेकशन में ए5 अनुसूची भरें।
--	---------------	--	---	--------------	---	-------------------	--	---	---	--	--

यदि आप डविडिट से आय अर्जति करते हैं

1	फ़्रांस एफ़आर		ESOP योजना के तहत L’Air Liquide S.A. में शेयर	कानूनी मालकि		दोबारा इनवेस्ट कएि गए डविडिट की रुपए में कीमत (यदि लागू हो)। फुटनोट 22 देखें <sup>22</sup> । कृपया किसी टैक्स सलाहकार से परामर्श करें।	शून्य (अगर जनवरी 2026 से दसिंबर 2026 तक कोई डविडिट नहीं बना है या मलिया है)। अगर आप आगे के वर्षों में डविडिट से आय (अर्जति या प्राप्त) अर्जति करते हैं, तो कृपया नीचे फुटनोट 22 देखें और टैक्स सलाहकार से परामर्श करें।	डविडिट – «अन्य स्रोतों से आय»।	अर्जति और मलिया डविडिट की राशि, यदि कोई हो। कृपया नीचे फुटनोट 22 देखें।	अनुसूची एफ़ए	शून्य।
---	---------------	--	---	--------------	--	--	---	--------------------------------	---	--------------	--------

\* इस अनुसूची में प्रकटीकरण तभी तक ज़रूरी है, जब तक आप आय प्राप्त नहीं करते/शेयरों को भुनाते हैं।

<sup>18</sup> घोषणा का प्रारूप केवल समझाने के लिए है। कृपया ध्यान रखें कि यदि आप अन्य ESOP योजनाओं के तहत शेयर रखते हैं तो आपको अतिरिक्त खुलासे करने पड़ सकते हैं। कृपया अपना टैक्स रटिर्न दाखल करने से पहले अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें।

<sup>19</sup> शेयरों के आवंटन की तारीख डालें

<sup>20</sup> कृपया अपना (3) L’Air Liquide शेयरों की खरीद लागत (शेयरों का एफ़एमवी) (+) सबसक्रिप्शन पर आपको प्राप्त 20% छूट (रुपये में)। [= सबसक्रिप्शन में L’Air Liquide शेयरों के एफ़एमवी को गुणा करें (संदर्भ मूल्य) \* आपको आवंटति शेयरों की संख्या (Uptevia पोर्टल देखें) \* यूरो और रुपये के बीच वदिशी वनिमिय दर। L’Air Liquide द्वारा तय किया गया।]

<sup>21</sup> कृपया कमाए गए कैपिटल गेन (लॉन्ग या शॉर्ट टर्म) को कॉलम 7 माइनस (-) कॉलम 6 डालें।

<sup>22</sup> कानून के तहत, डविडिट के माध्यम से आय के संबंध में, कृपया डविडिट राशियों को € में एसबीआई IT खरीद दर € से रु. तक गुणा करें, जसि महीने में डविडिट घोषति, वतिरति या भुगतान किया जाता है, उससे पहले वाले महीने के आखिरी दनि तक।

कृपया अनुसूची AL, आईटीआर -2 का हिससा भी भरें, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में करदाता द्वारा रखी गई सभी परसिंपत्तियों और देनदारियों का खुलासा करना आवश्यक है। व्यक्तियों को अनुसूची AL अनिवार्य रूप से भरना होगा यदि उनकी कुल आय इससे अधिक है सभी कटौतियों के बाद उनकी आय 50 लाख है और उन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई व्यवसाय या कारोबार नहीं किया है। इससे कम कुल आय वाले व्यक्ति 50 लाख तक की आय पर शेड्यूल AL फाइल करने की आवश्यकता नहीं है।

रडीम करने के लिए बकिरी से हुई आय का भारत में प्रत्यावर्तन: myAL myShare 2025 के नियमों और शर्तों के अधीन, आप myAL myShare 2025 के तहत अर्जति अपने शेयरों के रडीम करने के लिए कह सकते हैं, बशर्ते कि शेयर रडीम करने से हुई सभी आय भारतीय नवासी कर्मचारियों द्वारा भारत में प्रत्यावर्तित की जाए और किसी भी मामले में ऐसे रडिप्शन को के एक सौ अस्सी (180) दिनों के भीतर किया जाए। भारत में नवासी व्यक्ति जिसपर कोई विदेशी मुद्रा बकाया है या अर्जति की गई है, उसे ऐसी विदेशी मुद्रा को भारत में वापस लाने और वापस लाने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होने पर, व्यक्ति को आय को भारत में ट्रांसफर करके या भारत में प्राप्त करके भारत को प्रत्यावर्तित करना होगा, तथा अन्य बातों के साथ-साथ, उसे भारत के बाहर किसी देश में प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे गए रुपए के बदले में भारत में किसी प्राधिकृत व्यक्ति को बेचना होगा।। किसी व्यक्ति को भारत में प्राप्त विदेशी मुद्रा को तब प्रत्यावर्तित करने वाला माना जाता है, जब वह भारत के बाहर किसी देश में स्थिति किसी बैंक या एक्सचेंज हाउस के खाते से, जो किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास हो, भारत में रुपए में भुगतान प्राप्त करता है। शेयर रडीम करने से होने वाली आय को आपके आईटीआर में सूचित किया जाना चाहिए और उस पर लागू स्लैब दरों पर टैक्स का भुगतान, सरचार्ज और स्वास्थ्य और शिक्षा सेस के साथ किया जाना चाहिए।

## क्या आपके नियोक्ता पर रपिर्टिंग दायित्व है?

आपका नियोक्ता आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किसी भी रपिर्टिंग दायित्वों के अधीन नहीं है (जिस महीने में टैक्स काटा जाता है, उसके अंत से सात दिनों के भीतर रोकें गए टैक्स को जमा करने के अलावा)। नियोक्ता को स्रोत पर काटे गए टैक्स के संबंध में त्रैमासिक विदिहोलडिंग टैक्स स्टेटमेंट भी दर्ज करना होगा। रियायत मूल्य और उस पर काटे गए टैक्स को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नियोक्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए गए फॉर्म 16 और फॉर्म 12बीए में दिखाई देना चाहिए। हालाँकि, आपके नियोक्ता को छमाही के अंत से 60 दिनों के भीतर फॉर्म ओपीआई में एक रपिर्ट दर्ज करनी होगी (यानी, सितंबर या मार्च के अंत में, जैसा भी मामला हो) जिसमें myAL myShare 2025 के तहत शेयर या ब्याज का अधग्रहण या हस्तांतरण किया जाता है। इस तरह की रपिर्टिंग अपने अधिकृत डीलर के माध्यम से, रेंटिस, शेयरों की पुनर्खरीद, लाभार्थियों आदि का वविरण देते हुए दायर की जानी चाहिए। इसके अलावा, myAL myShare 2025 में भारतीय भाग लेने वाली संस्थाओं को इसकी अवधि के दौरान ऐसी रपिर्ट दर्ज करनी होगी।

## टैक्स के भुगतान का समय और तरीका क्या है?

सब्सक्रिप्शन पर उपलब्ध शेयर मूल्य की छूट आपके ऊपर एक रियायत के रूप में कराधान के अधीन होगी। नियोक्ता आपके लिए लागू दर पर टैक्स रोक लेगा और टैक्स अधिकारियों को भेज देगा।

डिविडेंट और कैपिटल गेन पर टैक्स का भुगतान करने की देयता आपके साथ नहिति है, और आपका नियोक्ता टैक्स को रोकने या उसी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लिखित नयित तारीखों पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आप टैक्स का भुगतान करेंगे। एडवांस टैक्स का भुगतान कसितों में किया जाता है। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, कसितें 15 जून, 2025; 15 सितंबर, 2025; 15 दिसंबर, 2025; और 15 मार्च, 2026 को देय हैं। एडवांस टैक्स नियमों के लिए आवश्यक है कि आपके टैक्स बकाया (पूरे वर्ष के लिए अनुमानित) का भुगतान एडवांस में किया जाए। आपका नियोक्ता सब्सक्रिप्शन पर स्रोत पर टैक्स काटता है, यदि आपने कैपिटल गेन या डिविडेंट आय अर्जति की है तो आपको एडवांस टैक्स जमा करना पड़ सकता है। 15 मार्च, 2026 तक, आपके टैक्स का 100% भुगतान हो जाना चाहिए। भुगतान न करने या विलंबित एडवांस टैक्स भुगतान के चलते दंडात्मक ब्याज लग सकता है। हालाँकि, कैपिटल गेन पर टैक्स का अनुमान लगाना और पहले कुछ कसितों में एडवांस टैक्स जमा करना मुश्किल हो सकता है। अगर रडिप्शन या बकिरी बाद में वर्ष में होती है। आयकर प्रावधानों के अनुसार, कैपिटल गेन पर संपूर्ण टैक्स भुगतान एडवांस टैक्स द्वारा कसितों में किया जाना है, जो कैपिटल गेन होने के तुरंत बाद देना होता है। इसलिए, जब एडवांस टैक्स कसितों का भुगतान किया जाता है, तो कैपिटल गेन के कारण कसित कम होने पर कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाता है। अग्रिम टैक्स की शेष कसित (शेयरों की बकिरी के बाद), जब भी देय हो, कैपिटल गेन पर बने टैक्स को शामिल करना चाहिए। टैक्स के बारे में कृपया अपने टैक्स सलाहकार से परामर्श करें।